12/7/18 [illegible] [illegible] ઉપર / [illegible] ના [illegible]
[illegible] ક્રિયા [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
પત્રાવળી ક્રિયા કરાવી। પત્રાવળી [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] છે [illegible] છે તથા [illegible] [illegible]
[illegible] છે। [illegible]

(पर्चा डिक्री).

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 173/17
दायर दिनांक 13.10.2017

निर्णय दिनांक
12/07/2018

उनवान

1. रिसाल देवी पत्नी खिल्लूराम जाति जाट निवासी उजौलीतहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

--वादीया

बनाम

1. रामफल
2. रामप्रसाद पुत्रांन चोखराम जाति जाटान निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला--अलवर (राज0)
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बूढ़ीबावल जरिये शाखा प्रबन्धक, बूढ़ीबावल तहसील कोटकासिम
4. उप पंजीयक, कोटकासिम, तहसील कोटकासिम
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

–अलसल प्रतिवादी

6. सरोज
7. मनोज
8. सनोज पुत्रीयान खिल्लूराम जाति जाटान निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुकमइंतनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री योगेश कुमार अभिभाषक

अतः वाद वादिया इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम उजौली आराजी खसरा नम्बर 1453 रकबा 2.10 बीघा के 1/120 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 793/0.05, 725/0.16, 814/0.10, 823/1.14, 845/1.06, 966/0.18, 710/0.05 बीघा में 1/16 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 1117/1.03 बीघा में 3/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 1377/4.10 बीघा में 11/96 हिस्से के वादिया एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का समभाग के खातेदार घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात से सोहनलाल पुत्र चोखराम जाट का नाम कलमजन किया जाकर इस के स्थान पर वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज रिकॉर्ड हो। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 173/17 निर्णय दिनांक
दायर दिनांक 13.10.2017 14/07/2018

उनवान

1. रिसाल देवी पत्नी खिल्लूराम जाति जाट निवासी उजौलीतहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

–वादीया

बनाम

1. रामफल
2. रामप्रसाद पुत्रांन चोखराम जाति जाटान निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बूढ़ीबावल जरिये शाखा प्रबन्धक, बूढ़ीबावल तहसील कोटकासिम
4. उप पंजीयक, कोटकासिम, तहसील कोटकासिम
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

–अलसल प्रतिवादी

6. सरोज
7. मनोज
8. सनोज पुत्रीयान खिल्लूराम जाति जाटान निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुकमइतनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री योगेश कुमार अभिभाषक

वादिया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 दर्ज वाके ग्राम उजोली आराजी खसरा नम्बर 1453/2.10, 793/0.05, 725/0.16, 814/0.10, 823/1.14, 845/1.06, 966/0.18, 710/0.05, 1117/1.03, 1377/4.10 बीघा वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगणो व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की हिन्दु मुश्तर्का खानदान दादालाई आराजी है। यह आराजी मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगणो को व मृतक सोहनलाल उर्फ सोनिया को व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हमारे दादा चोखराम से विरास्त में प्राप्त हुई है। इस आराजीयात के मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण पहले से ही रिकॉर्डेड खोतेदार व काबिज काश्तकार है। मिन वादिया के जेठ व तरतीबी प्रतिवादीगण के ताऊजी सोहनलाल उर्फ सोनिया का भी जमाबन्दी मुताबिक हिस्सा खातेदारी का अंकन हो रहा है 1 मिन वादीया का जेठ सोहनलाल उर्फ सोनिया लावल्द फौत हो गया है। सोहन लाल उर्फ सोनिया के विधिक व जायज वारिसान वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 ही है। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादिया मुताबिक हिस्से पर व सोहनलाल उर्फ सोनिया के मुताबिक हिस्से पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

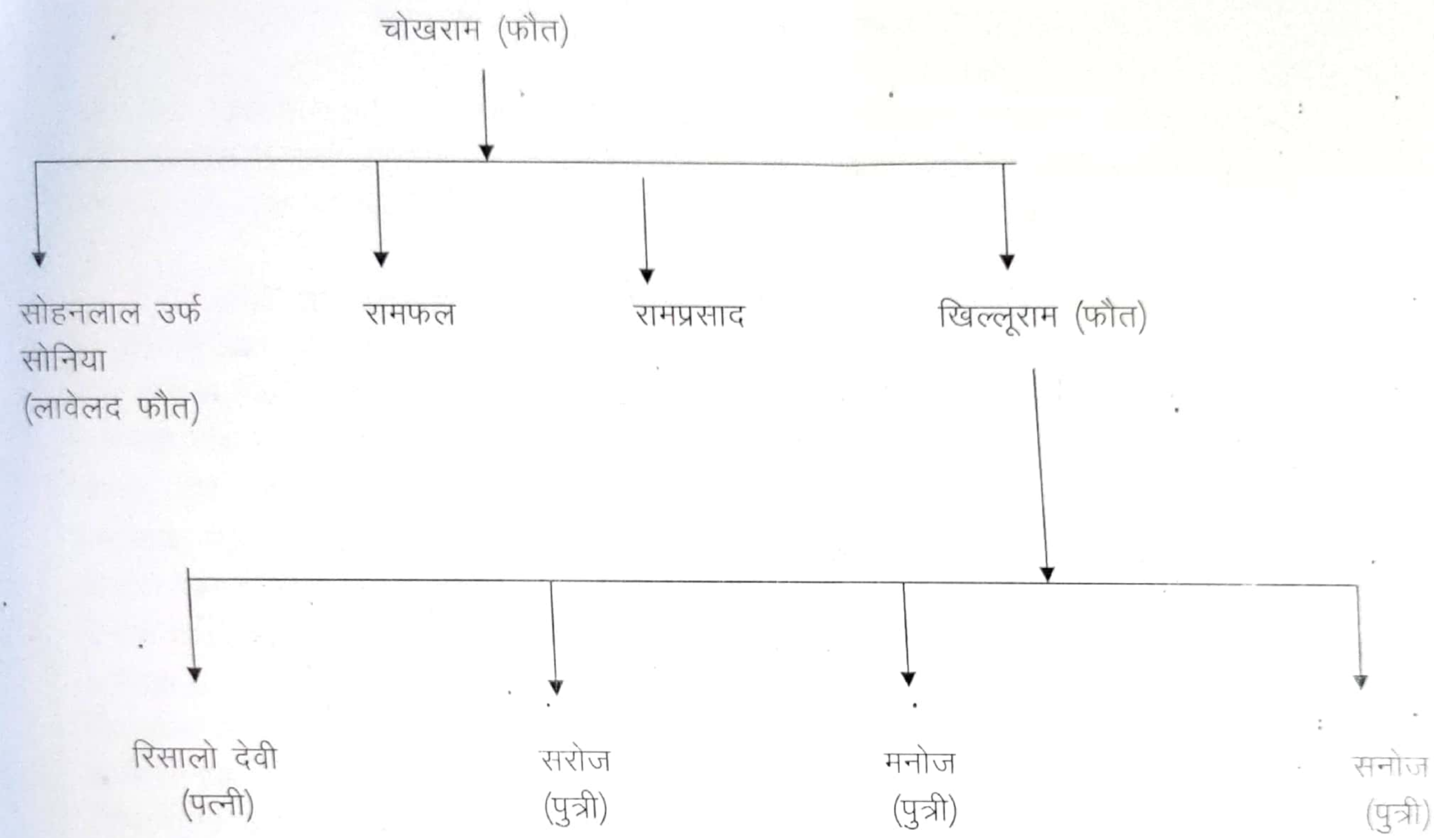

सोहनलाल उर्फ सोनिया ने अपने जीवनकाल में ही 100/रू के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 04.06.2007 को हल्फनामा लिख दिया था की अपने खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 726/0.19, 897/0.16, 902/0.07, 1379/1.13, 181/2.18 बीघा कुल किता 5 रकबा 6.13 बीघा भूमि ग्राम उजौली के एवंज में घरेलु समझोता के मुताबिक छोटे भाई रामप्रसाद पुत्र चोखराम को आराजी नम्बर 1379/1.13 बीघा ग्राम उजौली की दे रहां है तथा शेष बची में से रामफल पुत्र चोखराम 1.13 बीघा भूमि की कभी भी रजिस्ट्री करा लेगा जिसमें मुझे कोई ऐतराज नही होगा। बाकी बची 33 बिस्वा पर अगर भविष्य में कोई विवाद नही होता है तो 11 बिस्वा रामप्रसाद व 11 बिस्वा रामफल अपनी रजिस्ट्री करा लेगा । अगर भविष्य में किसी पक्ष द्वारा इस बाबत विवाद किया जाता है तो रामप्रसाद दोनो को जो ऊपर लिखी हुई 11 बिस्वा जमीन नही दी जावेगी। सोहनलाल उर्फ सोनिया ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या–1 के बेटे की पुत्र वधु श्रीमति लक्ष्मीदेवी पत्नी राजेन्द्र सिंह के नाम आराजी खसरा नम्बर 726/0.19, 897/0.16, 902/0.07, 180/2.18 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा की दिनांक 29/6/2007 में रजिस्टर्ड बैयनामा करवा दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रसाद के नाम आराजी खसरा नम्बर 1379 रकबा 1.13 बीघा की दिनांक 4.06.2007 को रजिस्टर्ड बैयनामा करा दिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सोहनलाल उर्फ सोनिया के हिस्से की जमीन मिल चुकी है। शेष बची जमीन सोहनलाल उर्फ सोनिया की मुताबिक हल्फनामा दिनांक 04.06.2007 को मिन वादिया एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होनी चाहिए। अतः वाद वादिया डिक्री किया जावे कि ग्राम उजौली हाल आराजी नंम्बर 1453/2.10 बीघा में 1/120 हिस्सा, 793/0.05 बीघा में 1/16 हिस्सा, 725/0.16 बीघा में 1/16 हिस्सा, 814/0.10, 823/1.14, 845/1.06, 966/0.08 बीघा में 1/16 हिस्सा, 710/0.05 बीघा में 1/16 हिस्सा व 1117/1.03 बीघा में 3/4 हिस्सा के वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण को समभाग के खातेदार घोषित किया जाकर सोहनलाल उर्फ सोनिया का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर दर्ज रिकॉर्ड कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रतिवादीगणो की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वाद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार ने जवाब पेश कर जाहिर किया कि वाद में अंकित तथ्यों को वादी स्वयं सिद्ध करे।

वादिया ने अपनी साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं गवाहा श्री कन्हैयालाल पुत्र रामकंवार जाति जाट निवासी उजौली का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075, सोहनलाल उर्फ सोनिया के हल्फनामा दिनांक 04.06.2007, बैयनामा दिनांक 04.07.2007 व बैयनामा दिनांक 29.06.2007 की छाया प्रति प्रस्तुत की। विद्वांन अभिभाषक वादिया को सुना गया ।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत सजरा मुताबिक चोखराम के चार पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनिया, रामफल, रामप्रसाद व खिल्लुराम हुए। चोखराम के फौत होने से विवादीत भूमि इसके चारो पुत्रों के नाम विरास्त से दर्ज रिकॉर्ड हुई तथा खिल्लुराम के फौत होने से इसके हिस्से की भूमि वारिसान वादिया एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम आयी । सोहनलाल उर्फ सोनिया लावल्द फौत हुआ इसने अपने जीवनकाल में भूमि अपने हिस्से की भूमि अपने तीनो भाईयों में रामफल, रामप्रसाद, खिल्लुराम को देने का आपसी सहमति से दिनांक 04.06.2007 को हल्फनामा लिखा जिसके मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 1379 रकबा 1.13 बीघा का निशुल्क बैयनामा प्रतिवादी संख्या–2 रामप्रसाद के पक्ष में दिनांक 04.06.2007 को तथा आराजी खसरा नम्बर 726/0.19, 897/0.16, 902/0.07, 180/2.18 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा का बैयनामा प्रतिवादी संख्या रामफल के पक्ष में दिनांक 29.06.2007 को करादिया शेष बची खिल्लुराम को मिलेगी। खिल्लुराम फौत हो चुका है। इसके वारिसान वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण होने से इन्हो के हक में आयेगी। गवाहा श्री कन्हैयालाल ने अपने शपथ पत्र में बताया कि सोहनलाल उर्फ सोनिया के विधिक एवं जायज वारिसान होने से मुताबिक जमाबन्दी हिस्से सोहनलाल के हिस्से पर वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज हो काश्त कर. रही है। जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 ग्राम उजौली सोहनलाल पुत्र चौखराम के नाम आराजी खसरा नम्बर 1453 रकबा 2.10 बीघा में 1/5 दर 1/24 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 793/0.05, 725/0.16, 814/0.10, 823/1.14, 845/1.06, 966/0.18, 710/0.05 बीघा में 1/16 हिस्सा, 1117/1.03 बीघा में 3/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 1377/4.10 बीघा में 11/48 हिस्से दर्ज है जो वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादीगणो के समभाग से आवेगी।

–: आदेश :–

अतः वाद वादिया इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम उजौली आराजी खसरा नम्बर 1453 रकबा 2.10 बीघा के 1/120 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 793/0.05, 725/0.16, 814/0.10 823/1.14, 845/1.06, 966/0.18, 710/0.05 बीघा में 1/16 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 1117/1.03 बीघा में 3/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 1377/4.10 बीघा में 11/96 हिस्से के वादिया एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को समभाग के खातेदार घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात से सोहनलाल पुत्र चोखराम जाट का नाम कलमजन किया जाकर इस के स्थान पर वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज रिकॉर्ड हो। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner